न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 03/2019 (225 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00014

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी सैपऊ जिला धौलपुर (मृतक)
   1/1. राहुल तिवारी
   1/2. सुधीर कुमार तिवारी
   1/3. लोकेश तिवारी
   1/4. ओमवती पत्नी श्री राजेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.01.2019 प्रकरण संख्या 05/2018 (7/2013) उनवान सरकार बनाम राजेन्द्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश कटारा अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–01.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 26.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के खिलाफ इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी रैफरेन्स में विवादित आराजी पर अप्रार्थी प्लॉट बनाकर विक्रय करने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने रहन, वय कर दिया तो राज्य सरकार को हानि होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2019 से स्वीकार करते हुये अप्रार्थी/अपीलाण्ट को रैफरेन्स प्रकरण के निस्तारण तक विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी का अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय रैफरेन्स की कार्यवाही में न्यायिक आदेश पारित नहीं कर सकता है एवं रैफरेन्स की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलक्टर को राजस्व न्यायालय नहीं माना गया है। राजस्व न्यायालय के अभाव में अतिरिक्त जिला कलक्टर को अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने के कोई अधिकार हासिल नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि रैफरेन्स की कार्यवाही में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1974 पेज 192, 2010 पेज 597, 1993 पेज 666, 2013 पेज 99 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर प्लाट बनाकर विक्रय करने पर उतारू हैं। जबकि जमाबन्दी संवत 2067–70 में विवादित आराजी पर रैफरेन्स की कार्यवाही विचाराधीन होने का नोट अंकित है। इसके बाबजूद अपीलाण्ट ने विवादित आराजी में से तीन प्लॉट बनाकर विक्रय कर दिया है। इस प्रकार राज्य सरकार को हानि हो रही है। यदि इसी प्रकार विवादित आराजी का विक्रय होता रहा तो अपीलाण्ट अपने मकसद में कामयाब हो जायेगा और रैफरेन्स के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि रैफरेन्स की कार्यवाही में न्यायिक आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। हमने मनन किया एवं वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का न्यायिक मस्तिष्क से अध्ययन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रा0 पत्र रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 82, 88(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अवलोकन, विश्लेषण तथा विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त के अनुरूप धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में कलेक्टर अथा अतिरिक्त कलेक्टर को राजस्व न्यायालय नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे प्रकरण में वे न्यायिक आदेश पारित नहीं कर सकते एवं मात्र अपनी सिफारिश के साथ प्रकरण को राजस्व मण्डल को प्रेषित कर सकते हैं। योग्य अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तो में यह प्रतिपादित किया गया है :–

"Raj. Land Revenue Act, Section 82 – Collector does not pass any order under this Section but expresses his views which amounts only to a recommendation- This Section does not confer any powers of granting stay or taking preventive action- While proceedings under the Section the Collector does not function as a Revenue Court, nor does he discharge any judicial function- As such he cannot issue any injunction.

6. उक्त सिद्धान्त में यह स्पष्ट माना है कि जिलाधीश धारा 82 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नहीं करते, केवल अपनी राय जाहिर करते हैं। उनका आदेश, आदेश ना होकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-दौसा

केवल सिफारिश की तारीफ में आता है। वे धारा 82 में कोई स्थगन आदेश देने या प्रीवेनटिव एक्शन लेने की शक्तियॉ प्रदान नहीं करते हैं व धारा 82 की कार्यवाही करते समय वे ना तो रेवेन्यू कोर्ट की तरह बैठते हैं ना ही वे कोई ज्यूडिशियल फंक्शन करते हैं। अतः उन्हें निषेधाज्ञा आदेश जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारे उक्त मत को आरआरडी 1974 पेज 192, 2010 पेज 597, 1193 पेज 666 से बल मिलता है। फलस्वरूप अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में विधिक व क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित की गयी है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. हम यह भी पाते हैं कि वकील अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो को अपने तर्को के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी न्यायिक नजीरों की ओर ध्यान ना देते हुये, मनमाने तौर पर एवं क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जबकि न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार बिना न्यायिक विवेक एवं क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित निर्णय, अनुचित एवं न्यायालय के कीमती समय को नष्ट करना है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.01.2019 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर